

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा: सामाजिक अध्ययन

Roshni Kumari^{1*}, Dr. Sarita Kushwah²

¹ Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

² Professor, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.

सार - घरेलू हिंसा एक ऐसी समस्या है जो हमारे देश में सदियों से मौजूद है और हमेशा से हमारे भारतीय समाज का हिस्सा रही है। लैंगिक असमानता का मूल कारण पितृसत्तात्मक व्यवस्था है जो हमारे समाज में मौजूद है। यह किसी प्रकार की उत्तेजना के साथ-साथ कई अवक्षेपण कारकों का परिणाम है। हालाँकि, हमारे वर्तमान समाज में इसकी अधिक गंभीर अभिव्यक्तियाँ हैं क्योंकि आधुनिकीकरण और तकनीकी विकास की प्रक्रिया के कारण घरेलू हिंसा की प्रकृति में काफी बदलाव आया है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा गंभीर रूप से मानवाधिकारों का उल्लंघन करती है और इसे एक सामाजिक मुद्दे के रूप में माना जाता है। हिंसा की शिकार महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का विश्लेषण करना आवश्यक ताकि हिंसा के सटीक कारणों की जांच की जा सके।

कीवर्ड - घरेलू हिंसा, महिला, सामाजिक।

-----X-----

परिचय

औद्योगिक और विकासशील दुनिया में घरेलू हिंसा से मानव अस्तित्व और व्यापक विकास गंभीर रूप से प्रभावित हैं। पुरुषों और महिलाओं के बीच असमान शक्ति असंतुलन ने महिलाओं के खिलाफ हिंसा को जन्म दिया है। यह एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है, न कि कुछ ऐसा जो हमारे जीव विज्ञान में निहित है। अज्ञानता और सामंतवाद की संस्कृति ने अतीत में महिलाओं के प्रति हिंसा को जन्म दिया। (1) हमारा देश तेजी से शहरीकरण, औद्योगीकरण और संरचनात्मक समायोजन कार्यक्रमों का अनुभव कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं के खिलाफ हिंसा में असहनीय वृद्धि हुई है। जहां हजारों वर्षों से अहिंसा का उपदेश दिया जाता रहा है और जहां दुर्गा, सरस्वती और लक्ष्मी के वेश में महिलाओं की पूजा की जाती रही है, वहां महिलाओं के अस्तित्व की क्रूर वास्तविकता को देखना चौंकाने वाला है। भारत में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा का मुद्दा कोई नई घटना नहीं है। (2)

घरेलू हिंसा की परिभाषा

पारिवारिक, विश्वास या निर्भरता के रिश्ते में सत्ता का दुरुपयोग एक गंभीर प्रकार की घरेलू हिंसा है। यह उन लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है जो अपने लिंग, उम्र, विकलांगता या निर्भरता के कारण दुर्व्यवहार के लिए सबसे अधिक असुरक्षित हैं। एक प्रमुख सामाजिक और आपराधिक मुद्दे के रूप में, जो पीड़ितों की मृत्यु या विकलांगता में समाप्त हो सकता है, यह आगे की विशेषता है। यह घातक हो सकता है, या यह यौन और शारीरिक रूप से अपमानजनक हो सकता है। भावनात्मक और वित्तीय दुर्व्यवहार, साथ ही उपेक्षा और वित्तीय कठिनाई, विभिन्न प्रकार के दुरुपयोग हैं। घरेलू दुर्व्यवहार के शिकार अक्सर अपनी परीक्षा के परिणामस्वरूप दीर्घकालिक परिणाम भुगतते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा घरेलू हिंसा पर नोडल कानून में कहा गया कि परिवार के सदस्यों द्वारा घर में महिलाओं के खिलाफ लिंग आधारित हिंसा के सभी कार्य, जिसमें एकल हमले से लेकर बड़ी हुई शारीरिक बैटरी शामिल हैं; अपहरण, धमकी, धमकी, जबरदस्ती; पीछा करना; अपमानजनक मौखिक उपयोग; जबरन या गैरकानूनी प्रवेश; आगजनी; संपत्ति का विनाश; यौन हिंसा; वैवाहिक

बलात्कार; दहेज या संबंधित हिंसा; और महिला जननांग विकृति; इस ढांचे से आच्छादित हैं। (3)

घरेलू हिंसा की अवधारणा

जब एक परिवार की चार दीवारों के भीतर या एक विशिष्ट शक्ति गतिशील और सामाजिक आर्थिक प्रणाली के भीतर अपराध किया जाता है, तो घरेलू हिंसा विशेष रूप से जटिल और क्रूर होती है। इस दुर्व्यवहार के होने पर उसे पहचानना या पहचानना भी संभव नहीं है। घरेलू दुर्व्यवहार की पहचान करने में, सबसे कठिन हिस्सा यह निर्धारित करना है कि यह क्या है। महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार की हिंसा उनके समानता के अधिकार का उल्लंघन करती है। हिंसा को रोकने के क्षेत्र में राज्य द्वारा निष्क्रियता सरकार द्वारा समान व्यवहार के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा पुरुषों और महिलाओं के बीच ऐतिहासिक रूप से असमान शक्ति संबंधों की अभिव्यक्ति है, जिसके परिणामस्वरूप पुरुषों का वर्चस्व रहा है और महिलाओं के खिलाफ व्यवस्थित रूप से भेदभाव किया जा रहा है और उनकी पूर्ण उन्नति को रोका जा रहा है। (4)

घरेलू हिंसा के प्रकार

कोई भी व्यक्ति अपने आकार की परवाह किए बिना घरेलू हिंसा या दुर्व्यवहार का शिकार हो सकता है; हालाँकि इस मुद्दे को अक्सर नज़रअंदाज़ किया जाता है, कम करके आंका जाता है या इनकार किया जाता है। इससे भी अधिक जब दुर्व्यवहार प्रकृति में मनोवैज्ञानिक है और शारीरिक रूप से आधारित नहीं है, हालांकि भावनात्मक शोषण को अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है, लेकिन पीड़ित पर इसका दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। घरेलू हिंसा और दुर्व्यवहार को खत्म करने के लिए, पहला कदम चेतावनी के संकेतों और लक्षणों को पहचानना है। जिस व्यक्ति से आप प्यार करते हैं, वह आपके जीवन में भय का स्रोत नहीं होना चाहिए। यदि आप या आपके किसी परिचित में निम्न में से कोई भी चेतावनी संकेत या दुर्व्यवहार का वर्णन है, तो सहायता प्राप्त करने में संकोच न करें। भारत में, घरेलू दुर्व्यवहार अधिनियम 2005 में एक प्रावधान है जो घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को सहायता प्राप्त करने की अनुमति देता है। (5)

- शारीरिक हिंसा
- यौन हिंसा
- मनोवैज्ञानिक हिंसा

- आर्थिक दुरुपयोग
- आध्यात्मिक हिंसा

घरेलू हिंसा: वैचारिक स्पष्टीकरण

भारतीय समाज में हिंसा का विस्फोट खतरनाक दर से हो रहा है। लगभग हर जगह आप देखते हैं, यह वहां है, और यह हमारे अपने घरों की तुलना में कहीं ज्यादा मजबूत नहीं है। पूरे देश में महिलाओं को उनके ही घरों में प्रताड़ित, प्रताड़ित और मार डाला जा रहा है। ग्रामीण क्षेत्र, गांव, शहर और महानगरीय क्षेत्र प्रभावित हैं। यह विभिन्न उम्र, नस्लों और सामाजिक पृष्ठभूमि के लोगों को प्रभावित करता है। यह एक परंपरा बन रही है जिसे पीढ़ियों तक निभाया जाएगा। घरेलू हिंसा वह मुहावरा है जिसका इस्तेमाल घरेलू हिंसा की इस बढ़ती हुई समस्या को दर्शाने के लिए किया जाता है। यह हिंसा किसी ऐसे व्यक्ति की ओर निर्देशित है जिसके साथ हमारा व्यक्तिगत संबंध चाहे वह जीवनसाथी हो, बच्चा हो, माता-पिता हो, दादी हो, हो, या हमारे विस्तारित परिवार में कोई और हो। स्त्री और पुरुष दोनों एक-दूसरे पर आतंक फैलाने में सक्षम हैं। सभी लोग पीड़ित या अपराधी हो सकते हैं। नतीजतन, इस आक्रामकता में खुद को विभिन्न तरीकों से प्रकट करने की प्रवृत्ति है। (6)

भारत में घरेलू हिंसा

एक देश के रूप में, हमारे पास एक अनूठी परिस्थिति है जहां सभी प्रकार की हिंसा, विशेष रूप से महिलाओं को खत्म करने के उद्देश्य से, सह-अस्तित्व, जिसमें चयनात्मक कन्या भ्रूण हत्या, कन्या भ्रूण हत्या, दुल्हन को जलाने और सती जैसी चीजें शामिल हैं। घरेलू हिंसा की घटनाओं में भी इजाफा हुआ है। (7) आज, सांस्कृतिक परंपराओं, उदासीनता या अज्ञानता के कारण महिलाओं के विरुद्ध कई प्रकार की हिंसा की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है। मौखिक अपमान और मौखिक फटकार को पत्नी के प्रति एक प्रकार की हिंसा के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है, या उन्हें एक महिला के खिलाफ अपमान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। भेदभाव, कठिनाई, और लक्ष्यों तक पहुँचने और उन पर प्रतिक्रिया करने में बाधाएँ सभी महिलाओं के जीवन में बहुत आम हैं। वे कार्यस्थल में, कृषि के क्षेत्र में, या यहाँ तक कि सार्वजनिक स्थानों पर भी हो सकती हैं। जानवरों के स्तर पर, हिंसक आक्रामकता (हत्या और खाने) केवल प्रजातियों के बीच होती है, फिर भी एक

इंसान, उच्चतम विकासवादी स्तर, अपनी ही प्रजाति के दूसरे इंसान को मारता है। यह चौंकाने वाला है। (8)

घरेलू हिंसा के कारण

विवाहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा भी वर्ग उत्पीड़न की अभिव्यक्ति है, जैसा कि अन्य प्रकार के उत्पीड़न के मामले में होता है। यह समझने के लिए कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा महिलाओं के लिए कैसे खास है, परिवार के भीतर लिंग द्वारा निर्भाई जाने वाली भूमिका और यह दिन-प्रतिदिन के जीवन में कैसे खेलता है, इसे देखना चाहिए। परिवार व्यवस्था में, घरेलू हिंसा, दहेज, बलात्कार और आत्महत्या सभी लैंगिक असमानता की अभिव्यक्ति हैं। महिलाओं की संपत्ति के मालिक होने की क्षमता की कमी आंशिक रूप से उनकी दासता की स्थिति और पुरुषों पर निर्भरता के लिए जिम्मेदार है। (9)

समाज पर घरेलू हिंसा का प्रभाव

इस लेख में उल्लिखित सभी हिंसाओं से समाज आहत है। घरेलू हिंसा के शिकार लोगों को घर पर रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है और उनके कष्टों के परिणामस्वरूप उनकी पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। इसका समाज पर लाभकारी और बुरा दोनों प्रभाव पड़ता है यदि लोग खुले में आते हैं और सहायता और बचाव के लिए अपने द्वारा किए गए नुकसान को स्वीकार करते हैं। जहां एक ओर यह अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा और आशा के स्रोत के रूप में कार्य करता है, वहीं दूसरी ओर, यह सामाजिक परिवेश से विचलित होता है। जब समाज में ऐसा कुछ होता है तो घरेलू हिंसा की बुराइयां कई परिवारों में नहीं आती हैं। भले ही यह परिवार के लिए अच्छा हो या बुरा, कुछ परिवार दूसरों की नकल करना चाहते हैं। (10)

अध्ययन के उद्देश्य

- महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक पृष्ठभूमि का पता करना
- महिलाओं के खिलाफ हिंसा के कारणों का पता करना

अनुसंधान क्रियाविधि

ज्ञान और सत्य अनुसंधान में कभी न खत्म होने वाले कार्य हैं। यह नई जानकारी प्रकट करता है या गलतियों और गलत धारणाओं को सुधारता है, और एक संगठित

फैशन में ज्ञान के वर्तमान शरीर में योगदान देता है। शोधकर्ताओं के निष्कर्ष वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ तर्क के साथ-साथ सामान्य सत्यापन और व्यक्तिगत अनुभव के संयोजन पर आधारित हैं। वैज्ञानिक अनुसंधान करते समय, किसी को अधिक औपचारिक ढांचे का पालन करना चाहिए, अधिक व्यवस्थित होना चाहिए, और अध्ययन और उसके निष्कर्षों या निष्कर्षों का औपचारिक रिकॉर्ड प्रदान करना चाहिए। इसे "अनुसंधान" कहा जाता है।

अध्ययन क्षेत्र

वर्तमान अध्ययन उत्तर प्रदेश के लखनऊ जिले में किया गया।

ब्रह्मांड और अध्ययन का नमूना

हमारे अध्ययन में लखनऊ जिले की महिलाएं होंगी। अध्ययन के उद्देश्य से अप्रॉक्स 200-300 महिलाओं लिया गया। ये उत्तरदाता 'लखनऊ' में अलग-अलग जातियों के होंगे, हमने महिलाओं की पहचान करने के लिए घर-घर जाकर सर्वेक्षण किया गया।

डेटा संग्रह के उपकरण और तकनीक

साक्षात्कार अनुसूची और उत्तरदाताओं के साथ अनौपचारिक चर्चा डेटा संग्रह के प्रमुख उपकरण हैं। साक्षात्कार कार्यक्रम पूर्व-परीक्षण किया और उपयुक्त से संशोधित किया गया। उत्तरदाताओं से जानकारी करने के लिए डेटा संग्रह की तकनीकों के रूप में गहन साक्षात्कार और चर्चा आयोजित किया गया। साक्षात्कार अनुसूची जिसने प्रमुख उपकरण का गठन किया गया, उत्तरदाताओं को उनसे जानकारी प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया। इसमें मुख्य रूप से उत्तरदाताओं का व्यक्तिगत डेटा, उनकी प्रोफाइल, हिंसा का प्रकार, इसके कारण, प्रकृति, अभिव्यक्तियाँ, आवृत्ति और परिणाम शामिल हैं। इन व्यक्तिगत डेटा के अलावा हमने द्वितीयक डेटा जैसे समाचार पत्र, रिपोर्ट का भी उपयोग किया गया।

परिणाम और विश्लेषण

ग्रामीण क्षेत्र में घरेलू हिंसा के प्रति प्रतिवादी के रवैये को प्रभावित करने वाले सामाजिक-आर्थिक कारक, सामाजिक-आर्थिक कारकों की जांच करने के लिए हमने उनकी आयु समूह शैक्षिक योग्यता, जाति संरचना,

परिवार का आकार, परिवार का प्रकार, व्यवसाय और पारिवारिक आय के बारे में जानकारी एकत्र की है।

आयु: भारतीय ग्रामीण समाज में उम्र सामाजिक स्थिति, भूमिका और सामाजिक जिम्मेदारी के सबसे महत्वपूर्ण निर्धारक कारकों में से एक है।

तालिका 1: उत्तरदाताओं का आयु-वार वितरण

आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
20-18	28	14.00
25-21	98	49.00
30-26	74	37.00
कुल	200	100.00

तालिका संख्या 1 उत्तरदाताओं के आयु-वार वितरण को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि 200 उत्तरदाताओं में से 14 प्रतिशत उत्तरदाताओं की आयु 18-20 वर्ष के बीच है। जबकि 49 प्रतिशत उत्तरदाता 21-25 वर्ष के आयु वर्ग के थे और 37 प्रतिशत उत्तरदाता 26-30 वर्ष के आयु वर्ग के थे। अतः अधिकांश उत्तरदाता 21-25 वर्ष के आयु वर्ग के थे।

शादी की उम्र:

विवाहित जोड़ों की सबसे उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक बच्चे पैदा करना है। भारतीय संदर्भ में शादी के तुरंत बाद माता-पिता बनने की प्रेरणा बहुत मजबूत है।

तालिका 2: विवाह के समय उत्तरदाताओं का आयु के अनुसार वितरण

आयु	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
18-15	26	13.00
21-19	94	47.00
25-22	80	40.00
कुल	200	100.00

तालिका संख्या 2 उत्तरदाताओं की शादी की उम्र दर्शाती है। यह दर्शाता है कि कुल 200 उत्तरदाताओं में से 13 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 15 से 18 वर्ष के आयु वर्ग में हुआ था; जबकि 47 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 19-21 वर्ष के आयु वर्ग के बीच हुआ था और 40 प्रतिशत उत्तरदाताओं का विवाह 22-25 वर्ष के आयु वर्ग के बीच हुआ था। अधिकांश उत्तरदाताओं का विवाह 19-21 वर्ष के आयु वर्ग के बीच हुआ।

व्यवसाय: आमतौर पर यह माना जाता है कि व्यक्तियों का दृष्टिकोण आम तौर पर उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति में भिन्नता के साथ बदलता रहता है।

तालिका 3: महिला उत्तरदाताओं का व्यवसाय

व्यवसाय	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
सेवाएं	20	10.0
घरेलू काम	140	70.0
छोटा व्यवसाय	40	20.0
कुल	200	100.00

यह तालिका 3 उत्तरदाताओं के व्यवसाय को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि 10.0 प्रतिशत उत्तरदाता सरकार में थे। और गैर सरकारी। सेवाओं, जबकि 70.0 प्रतिशत उत्तरदाता घरेलू कार्यों में शामिल थे और 20.0 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने छोटे व्यवसाय को संभाला। अतः तालिका से स्पष्ट है अधिकांश उत्तरदाता घरेलू कार्यों में संलग्न थे।

तालिका 4: उत्तरदाताओं की जाति और विवाह के समय उम्र के बारे में जागरूकता

जाति	जागरूकता					
	हां	प्रतिशत	नहीं	प्रतिशत	कुल	प्रतिशत
उच्चतर जाति	94	98.95	1	1.05	95	47.5
पिछड़ा जाति	62	95.38	3	4.62	65	32.5
निचला जाति	36	90.00	4	10.00	40	20.0
कुल	192	96.0	8	4.0	200	100

तालिका संख्या 4 उत्तरदाताओं की शादी में जाति और उम्र के बारे में जागरूकता दर्शाती है। उच्च जाति में 98.95 प्रतिशत उत्तरदाता, पिछड़ी जाति में 95.38 प्रतिशत और निम्न जाति के 90 प्रतिशत उत्तरदाताओं को विवाह की आयु के बारे में जानकारी थी। इसलिए इन सभी जाति समूहों के अधिकांश उत्तरदाताओं को शादी की उम्र के बारे में पता था।

तालिका 5: घरेलू हिंसा कानून के बारे में जाति और ज्ञान

जाति	ज्ञान का कानून के बारे में घरेलू हिंसा				
	हाँ	नहीं उचित ज्ञान	नहीं	कुल	प्रतिशत
उच्चतर जाति	(41.05) 39	(54.73) 52	(4.21) 4	95	47.5
पिछड़ा जाति	(20.00) 13	(75.38) 49	(4.61) 3	65	32.5
अनुसूचित जाति	(12.5) 5	(80.00) 32	(7.5) 3	40	20.00
कुल	(28.5) 57	(66.5) 133	(5.00) 10	200	100.00

तालिका 5 घरेलू हिंसा के कानून के बारे में जाति और ज्ञान के बीच संबंध को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि उच्च जाति के कुल 47.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश को उचित ज्ञान नहीं था, जबकि पिछड़ी जाति के 32.5 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से अधिकांश को उचित ज्ञान नहीं था और अनुसूचित जाति के 20 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से बहुसंख्यक थे।

तालिका 6: घरेलू हिंसा कानून के बारे में उत्तरदाताओं के ज्ञान के स्रोत

सूत्रों का कहना है	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
परिवार सदस्य द्वारा	12	21.05
टीवी/ रेडियो/ समाचार पत्र	35	61.40
दोस्त/ रिश्तेदार	10	17.55
कुल	57	100.00

तालिका 6 घरेलू हिंसा के कानूनों के बारे में उत्तरदाताओं के ज्ञान के स्रोतों को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि केवल 57 उत्तरदाताओं को इन कानूनों के बारे में पता था। उनमें से अधिकांश उत्तरदाताओं को टेलीविजन, रेडियो या समाचार पत्रों से इन कानूनों के बारे में पता चला, जबकि 21.05 प्रतिशत अपने परिवार के सदस्यों से और 17.55 प्रतिशत अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से घरेलू हिंसा के लिए बनाए गए कानूनों के बारे में जानते हैं।

महिलाओं के विरुद्ध घरेलू हिंसा के कारण

महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के कारण सामाजिक आर्थिक, सांस्कृतिक जैविक और कानूनी कारकों का एक जटिल मिश्रण है जो महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा के

लिए जिम्मेदार हैं। महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के विभिन्न कारण नीचे दिए गए हैं।

तालिका 7: घरेलू हिंसा के पीछे परिवार का प्रकार और कारण

परिवार	घरेलू हिंसा पीछे के कारण						
	पितृसत्तात्मकता	दहेजआप	शराब	बेरोजगारी तथा गरीबी	घरेलू काम	कुल	%
संयुक्त परिवार	27 (25.00)	19 (17.59)	11 (10.18)	22 (20.37)	29 (26.85)	108	54.00
एकल परिवार	24 (26.08)	17 (18.47)	21 (22.82)	13 (14.13)	17 (18.47)	92	46.00
कुल	51 (25.5)	36 (18.0)	32 (16.0)	35 (17.5)	46 (23.0)	200	100.00

तालिका 7 उत्तरदाताओं के परिवार के प्रकार और घरेलू हिंसा के कारणों के बीच संबंध को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि कुल 54 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से परिवार (26.85%) को घरेलू कार्यों के कारण घरेलू हिंसा का सामना करना पड़ा, इसके बाद 25 प्रतिशत पितृसत्ता के लिए और 20.37 प्रतिशत परिवार में बेरोजगारी और गरीबी के कारण थे। जबकि 46 प्रतिशत उत्तरदाताओं में से, जो एकल परिवार से थे, बहुसंख्यक, यानी 26.08 प्रतिशत ने पितृसत्ता के लिए घरेलू हिंसा का सामना किया, उसके बाद 22.82 प्रतिशत ने अपने पतियों द्वारा शराब के उपयोग के लिए, और 18.47 प्रतिशत दहेज के लिए। यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संयुक्त परिवार में घरेलू हिंसा का मुख्य कारण घरेलू काम है, लेकिन एकल परिवार में हिंसा का मुख्य कारण पितृसत्ता है।

तालिका 8: महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बढ़ाने वाले कारक

कारकों	उत्तरदाताओं की संख्या	प्रतिशत
महिलाओं की निम्न शिक्षा	118	59.00
गरीबी	164	82.00
बेरोजगारी	162	81.00
पुलिस की भूमिका	32	16.00
खापी पंचायत / ग्राम पंचायतों	118	59.00

तालिका 8 महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बढ़ाने वाले कारकों के बारे में उत्तरदाताओं की कई प्रतिक्रियाओं को दर्शाती है। यह दर्शाता है कि कुल 200

उत्तरदाताओं में से 59 प्रतिशत उत्तरदाताओं ने सोचा कि महिलाओं की कम शिक्षा महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को बढ़ाने वाला मुख्य कारक है।

निष्कर्ष

घरेलू हिंसा परिवार, विश्वास या निर्भरता संबंधों के भीतर शक्ति के गंभीर दुरुपयोग का प्रतिनिधित्व करती है। यह उन लोगों के मूल अधिकारों को कमजोर करता है जो लिंग, आयु, विकलांगता या निर्भरता के कारण दुर्व्यवहार के लिए सबसे अधिक संवेदनशील होते हैं। इसे आगे एक गंभीर सामाजिक और आपराधिक समस्या के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके परिणामस्वरूप पीड़ितों की मृत्यु या अक्षमता हो सकती है। इसमें हत्या या शारीरिक और यौन हमला शामिल हो सकता है। इसमें अपमानजनक व्यवहार के अन्य रूप भी शामिल हैं, जैसे भावनात्मक दुर्व्यवहार, वित्तीय अभाव और शोषण और उपेक्षा। घरेलू हिंसा अक्सर एक छिपी हुई समस्या बनी रहती है जिसका पीड़ितों पर लंबे समय तक प्रभाव पड़ता है।

संदर्भ

1. पारिख डी, अंजनाया एस। रायगढ़ जिले के असूदगांव गांव में विवाहित महिलाओं में घरेलू हिंसा का एक पार अनुभागीय अध्ययन। इंट जे हाल के रुझान विज्ञान प्रौद्योगिकी। 2013; 6:81-
2. महादेवप्पा, टी.सी. (2012)। लिंग आधार और सामाजिक न्याय, तीसरी अवधारणा; विचारों का एक अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, वॉल्यूम। 26, नंबर 307, पीपी. 17-19।
3. सिन्हा ए., मलिक एस., सान्याल डी., दासगुप्ता एस., पाल डी., और मुखर्जी, ए. (2012)। कोलकाता के एक स्लम क्षेत्र में प्रजनन आयु वर्ग की विवाहित महिलाओं के बीच घरेलू हिंसा, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक हेल्थ, वॉल्यूम। 56 (1) : 31-36.
4. कुमार, जी. सतीश और अस्तिगे, शांता (2012)। बाल विवाह; कारण और परिणाम, तीसरी अवधारणा, वॉल्यूम। 26, नंबर 304, पीपी 57-58।
5. गुप्ता संपा सेन (2012)। घरेलू हिंसा, विकलांग महिलाओं पर प्रभाव, महिला लिंक, वॉल्यूम। 18, नंबर 2, पीपी 28-33।
6. वीनत (2011)। पारिवारिक हिंसा और सुरक्षात्मक उपाय, परिवार परामर्श केंद्रों का एक अध्ययन

चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली के टीआरआई शहर, समाजशास्त्र के गुरु नानक जर्नल, वॉल्यूम। 32, नंबर 182।

7. न्यूमैन वाडेसांगो, सिम्फोरोसा रेम्बे और ओवेस चबाया (2011)। हानिकारक पारंपरिक प्रथाओं द्वारा महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन, मानवविज्ञानी, 13(2): 121-129।
8. कदम एसएस, चौधरी वीए। महिला के खिलाफ घरेलू हिंसा: भूत, वर्तमान, भविष्य। जे इंडियन एकेड फॉरेंसिक मेड। 2011;33(3):261-6.
9. सेन रुक्मिणी (2010)। घरेलू हिंसा पर पीड़ित और कानूनी बयानबाजी की महिला विषय: दो प्रवचनों में फिशर, इंडिया जर्नल ऑफ जेंडर स्टडीज, 17 (3), 375-401।
10. ढाक, बिप्लब और म्थरायप्पा, आर. (2010)। क्या सशक्तिकरण कर्नाटक में महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा को प्रभावित कर रहा है? मनुष्य और विकास: दिसंबर; 2010, वॉल्यूम। XXXII, नंबर 4, सेंटर फॉर रिसर्च इन रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, चंडीगढ़।

Corresponding Author

Roshni Kumari*

Research Scholar, Shri Krishna University, Chhatarpur M.P.